2025:CGHC:14058–DB

**प्रकाशनार्थ अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील क्रमांक 133/2019**

वेदप्रकाश दीवान पिता टीकम सिंह दीवान, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– मड़वापथरा, थाना मगरलोड, जिला धमतरी छत्तीसगढ़,

**... अपीलार्थी**

**विरुद्ध**

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना– मगरलोड, जिला धमतरी छत्तीसगढ़

**... उत्तरवादी**

---

| | |
|---|---|
| अपीलार्थी की ओर सेः | श्री वाई.सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री श्रुति झा तथा डॉ. एस.के.श्रीवास्तव, अधिवक्तागण |
| उत्तरवादी की ओर से: | श्री अभिषेक सिंह, पैनल अधिवक्ता |

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, एवं**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूत**

**बोर्ड पर निर्णय**

(24 मार्च, 2025)

न्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा,

इस अपील में अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 53/2017 में दिनांक 11.1.2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसमें अपीलार्थी को निम्नानुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है:

| दोषसिद्धि | दण्डादेश |
|---|---|
| भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दो बार | आजीवन कारावास, एवं 100/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास प्रत्येक बार में । |
| भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अधीन दो बार | 1 वर्ष का कारावास, एवं 100/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास प्रत्येक बार में । |

समस्त मुख्य दण्डादेशों को साथ– साथ चलाने हेतु निर्देशित किया गया है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि शिकायतकर्ता गजेन्द्र दीवान ने पुलिस थाना मगरलोड में लिखित शिकायत के माध्यम से सूचित किया कि उसके गांव के सुकलाल कमार, वेदराम कंवर और गोविंद राम साहू दिनांक 22.7.2017 को उसके पास आये और बताया कि कुछ दिन पहले वे रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्य करने के लिए दर्रा डोडगी नाला के पास गये थे। जब वे मुर्गी पकडने के लिए जंगल के भीतर गये तो नाला के पास साजा पेड़ के किनारे उन्हें अज्ञात पुरुष या स्त्री का जला हुआ अस्थि कंकाल दिखा और डर के कारण उन्होंने किसी को नहीं बताया। यद्यपि कुछ दिन पूर्व जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके गांव के वेदप्रकाश उर्फ प्रकार कंवर की पत्नी और पुत्र लापता हैं तो वे इसकी सूचना देने आये हैं। इस पर शिकायतकर्ता उनके साथ घटनास्थल पर गया और वहां कुछ मानव अस्थियों के जले हुए टुकड़े मिले।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर थाना मगरलोड की पुलिस ने मर्ग क्रमांक 32/17 दर्ज किया तथा पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ कि सरोजनी महानंद एवं प्रियांशु कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्रमांक 14/17 थाना कुरूद में दर्ज है। आगे पूछताछ से खुलासा हुआ कि मृतका सरोजनी महानंद का वेदप्रकाश से प्रेम प्रसंग था तथा वे पति–पत्नी के रूप में रह रहे थे तथा इस संबंध से प्रियांशु का जन्म हुआ। वेदप्रकाश दिनांक 26.2.2017 को अपने समाज की टिकेश्वरी नामक युवती से सगाई करने जा रहा था तथा जब इसकी जानकारी सरोजनी महानंद को हुई तो दोनों के मध्य झगड़ा हुआ तथा इसी कारण वेदप्रकाश ने उनसे छुटकारा पाने के लिए गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात, उसने शवों को गड्ढे में छिपाकर जला दिया ताकि अपराध के साक्ष्य गायब हो जाएं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अन्वेषण के दौरान घटनास्थल के नजरी नक्शें तैयार किए गए, मृतक व्यक्तियों की अस्थियों की जांच रिपोर्ट तैयार की गई और अपीलार्थी का मेमोरेंडम दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप टिबिया अस्थि के 02 टुकड़े, कपालों के 02 टुकड़े, अस्थियों के 26 टुकड़े आदि जब्त किए गए। जब्त अस्थियों को फोरेंसिक परीक्षण और विशेषज्ञ के अभिमत के लिए भेजा गया। डीएनए परीक्षण के लिए अभियुक्त का रक्त नमूना प्राप्त किया गया। साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त मृतक प्रियांशु का जैविक पिता पाया गया। यद्यपि, मृतका सरोजनी महानंद की कथित टिबिया अस्थि से कोई डीएनए प्रोफाइल प्राप्त नहीं किया जा सका। सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 201 के अधीन अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने सरोजनी और प्रियांशु की हत्या कारित करने और अपराध के साक्ष्यों को मिटाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 201 के अधीन दो बार आरोप विरचित किए, जिन्हें उसने अस्वीकार किया और विचारण चाहा।

04. अपने प्रकरण को साबित करने के लिए अभियोजन ने 20 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन प्रकरण में उसके विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने और प्रकरण में झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया।

05. संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को ऊपरोक्त वर्णीत अनुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

06. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत रूप से दोषपूर्ण, विकृत, त्रुटिपूर्ण है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। वर्तमान प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा सम्पूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, परंतु परिस्थितियों की कोई श्रृंखला पूर्ण नहीं है, जो अपीलार्थी की दोषिता को स्पष्ट रुप से साबित कर सके। विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में असफल रहा है कि जंगल से बरामद अस्थियों की पहचान मृतका सरोजनी महानंद और प्रियांशु के रूप में करने के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है। अ.सा.–1 वेदराम कंवर, अ.सा.–2 सुखलाल कंमार, अ.सा.–3 गजेंद्र कुमार दीवान और अ.सा.–4 रजनी महानंद ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों की कथित अस्थियों की बरामदगी के लिए अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन का अत्यधिक अवलंब लिया है और साथ ही अपीलार्थी को मृतक के साथ अंतिम बार एक साथ देखा गया था, जबकि इस प्रकार के साक्ष्य दुर्बल प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल इस आधार पर अपीलार्थी को इस प्रकार के जघन्य अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय को इस तथ्य की विवेचना करनी चाहिए थी कि मृतक के साथ अपीलार्थी के अंतिम बार एक साथ देखे जाने और जली हुई अस्थियों की बरामदगी के मध्य चार माह का अवधारणीय समय अंतराल है। इस प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट भी संदिग्ध है। उनका तर्क है कि यदि अभियुक्त के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को संतोषजनक रुप से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो यह अभियुक्त के विरुद्ध एक कारक हो सकता है, पंरतु ऐसा कारक अपने आप में दोष का निर्णायक नहीं है और यह परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते समय सुसंगत हो जाता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी का अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जो कि संदेह से परे है, अतः उसे संदेह का लाभ देते हुए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

**प्रदीप कुमार विरुद्ध छ.ग. राज्य, 2023 लाइव लॉ (एस.सी.) 239; बॉबी विरुद्ध केरल राज्य, 2023 लाइव लॉ (एस.सी.) 50; तथा कृष्णा झाली विरुद्ध छ.ग. राज्य** के प्रकरण में **दाण्डिक अपील**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**क्रमांक 2172/2023** में इस न्यायालय के **दिनांक 29.4.2024 को पारित निर्णय** का अवलंब लिया गया है।

07. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि जंगल में पाई गई अस्थि कंकाल मृतका सरोजनी महानंद और प्रियांशु की थीं; डीएनए रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी मृतक प्रियांशु का जैविक पिता है और इसके अतिरिक्त, अ.सा.–4 रजनी महानंद के साक्ष्य के अनुसार यह साबित होता है कि अपीलार्थी को अंतिम बार मृतक व्यक्तियों के साथ देखा गया था। अपीलार्थी इस बात का कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा कि उसने अपनी पत्नी और पुत्र के लापता होने के लगभग दो माह  बाद तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत समग्र मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और अपीलार्थी के आचरण को विचार में रखते हुए, आक्षेपित निर्णय द्वारा उसे युक्तियुक्त रूप से सिद्धदोष एवं दण्डित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।

09. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी पर सरोजनी महानंद और प्रियांशु की हत्या कारित करने तथा शवों को जलाकर और छिपाकर अपराध के साक्ष्यों को मिटाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 व 201 के अधीन आरोप विरचित किया गया था। अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 1 में उल्लिखित आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष एवं दण्डित किया।

10. अभियोजन के अनुसार, मृतका सरोजनी महानंद और अपीलार्थी के मध्य प्रेम संबंध थे, वे पति–पत्नी के रूप में साथ–साथ रह रहे थे और उनके संबंध से प्रियांशु का जन्म हुआ।

11. अ.सा.–17 निर्भय सिंह, निरीक्षक, ने कथन किया कि दिनांक 22.7.2017 को मुखबिर गजेन्द्र दीवान ने लिखित शिकायत प्र.पी/10 की कि नाला के पास जंगल में किसी अज्ञात पुरुष या स्त्री की जली हुई मानव अस्थियाँ पड़ी हैं और इसके आधार पर उन्होंने मर्ग क्रमांक 32/17 प्र.पी/27 द्वारा दर्ज किया, जिसमें ए से ए भाग तक उनके हस्ताक्षर हैं और बी से बी भाग तक सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर हैं।

12. अ.सा.–3 गजेन्द्र दीवान ने कथन किया कि वेदराम कंवर, सुकलाल कमार और गोविंद साहू ने उन्हें सूचित किया कि दर्रा डोडगी नाला के पास उन्होंने मानव अस्थियाँ देखीं और फिर उन्होंने इस आशय की लिखित शिकायत प्र.पी/10 द्वारा की, जिसमें ए से ए भाग तक उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अधीन सूचना (प्र.पी./1) और बी से बी भाग से अस्थियों के पंचनामा (प्र.पी./2 से पी/4) पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किए हैं। उन्होंने पुलिस के समक्ष अपीलार्थी प्र.पी./11 के मेमोरेंडम कथन को नकार दिया। यद्यपि, उन्होंने कथन किया कि घटनास्थल से अस्थियाँ बरामद की गई थीं और पुलिस ने एक नोकिया मोबाइल और एक काले रंग की मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स नंबर CG 05 W 6340 भी जब्त की थी। उन्होंने ए से ए और बी से बी भाग से क्रमशः जब्ती मेमोरेंडम प्र.पी./6, पी/7, पी/8, पी/12 और पी/13 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया और प्रतिपरीक्षण कराया, जहां उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि अभियुक्त के निशानदेही पर अस्थियाँ बरामद की गई थीं।

13.अ.सा.–17 निर्भय सिंह ने कथन किया कि उसने अभियुक्त के मेमोरेंडम (प्र.पी./11)द्वारा अस्थि कंकाल एकत्रित की तथा जब्ती मेमोरेंडम प्र.पी./6, पी/7, पी/8, पी/12 एवं पी/13 तैयार किया। उसने अभियुक्त के डीएनए परीक्षण के लिए आवेदन (प्र.पी./39) भी भेजा तथा अस्थियों परीक्षण के पश्चात फोरेंसिक विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, रायपुर को रिपोर्ट प्रदान करने के लिए आवेदन प्र.पी./40 है। उसने जब्त सामग्री को पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी./41 द्वारा भेजने के लिए प्रेषित किया। उसने अभियुक्त के मेमोरेंडम की रिकॉर्डिंग की वीडियो शूटिंग भी प्र.पी./43 द्वारा कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अ.सा.–9 डॉ. एसएमएम मूर्ति ने कथन किया कि उन्होंने अभियुक्त का रक्त नमूना पपत्र प्र.पी/18 द्वारा सुरक्षित रखा था, जिस पर ए से ए तक उनके हस्ताक्षर हैं और उन्होंने प्र.पी/19 के पहचान पत्र के अनुसार अभियुक्त का रक्त नमूना लिया था।

15. अ.सा.–8 डॉ. पुष्पा जनबंधु ने कथन किया कि आरक्षक गणेश साहू 210 उनके सामने दो सीलबंद पैकेट लेकर आए, जिनमें से एक में छह जली हुई अस्थियाँ थीं और दूसरे में 40 जली हुई अस्थियाँ थीं। उन्होंने दोनों पैकेट सीलबंद करके आरक्षक को रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय वापस ले जाने के लिए दे दिए।

16. अ.सा.–13 स्निग्धा जैन बंसल, सहायक प्राध्यापक, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर, ने कथन किया कि दिनांक 16.8.2017 को उन्होंने उनके पास भेजी गई अस्थियों का परीक्षण किया तथा पाया कि कार्टन क्रमांक 1 की 40 अस्थियाँ लगभग 20–21 वर्ष से

अधिक तथा 30 वर्ष से कम आयु की स्त्री की हो सकती हैं तथा कार्टन क्रमांक 2 की 6 अस्थियाँ लगभग 2–7 वर्ष आयु के मानव शिशु की हो सकती हैं। उनकी रिपोर्ट प्र.पी./22 है।

17. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्र.पी./46 के अनुसार अपीलार्थी मृतक प्रियांशु की वस्तु–बी जो कि ह्यूमरस बोन है, का जैविक पिता पाया गया है। यद्यपि वस्तु–ए अर्थात मृतका सरोजनी महानंद की टिबिया बोन से कोई डीएनए प्रोफाइल प्राप्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार डीएनए रिपोर्ट (प्र.पी./46) से यह स्पष्ट है कि जंगल से एकत्रित अस्थियाँ अपीलार्थी के जैविक पुत्र की थीं।

18. मृतका सरोजनी महानंद की बहन अ.सा.–4 रजनी महानंद ने कथन किया कि उसकी बहन सरोजनी अपीलार्थी से प्रेम करती थी और उन्होंने करीब 4–5 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था और उसके घर पर रह रहे थे। उनका एक पुत्र प्रियांशु दीवान था जिसकी हत्या अभियुक्त ने मात्र डेढ़ वर्ष की आयु में कर दी। उनका कथन है कि अभियुक्त दूसरा विवाह करना चाहता था और सगाई करने जा रहा था, जिस पर वह सरोजनी के साथ अभियुक्त के घर ग्राम–मड़वापथरा गई, जहां उनकी मुलाकात अभियुक्त की बहन और जीजा से हुई और अभियुक्त ने सरोजनी और प्रियांशु को अपने माता–पिता से अपनी पत्नी और पुत्र के रूप में मिलवाया। पैरा 4 में उसने कथन किया कि अभियुक्त के माता–पिता ने उन्हें बताया किया कि उन्हें अभियुक्त और सरोजनी के विवाह के विषय में जानकारी नहीं थी,अतः उन्होंने उसकी सगाई कर दी और कहा कि वे इस सगाई को तोड़ देंगे और उनसे वहां से जाने का अनुरोध किया। अगले दिन अभियुक्त ने उन्हें बस में बैठाया और वे अपने घर लौट आए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैरा 6 में उसने कथन किया कि दिनांक 1.4.2017 को अभियुक्त उसके घर अहिवारा आया और सरोजनी और प्रियांशु को यह कहकर अपने साथ ले गया कि वह उन्हें गांव में अपने घर पर अच्छी तरह से रखेगा। उसी दिन शाम करीब 7 बजे जब उसने अपनी बहन सरोजनी को फोन किया तो उसने जवाब दिया कि वे लोग अभियुक्त के जीजा के घर से खाना खाकर निकले हैं और रास्ते में हैं और वह अभियुक्त के घर पहुंचकर उसे फोन करेगी। अगले दिन यानी दिनांक 2.4.2017 को जब उसने सरोजनी को फोन किया तो फोन बंद था और करीब 15–20 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। इस बीच उसने अभियुक्त को भी फोन किया परंतु उसने उसका फोन नहीं उठाया। यद्यपि, उसकी बहन सरोजनी के घर से जाने के 15 दिन बाद एक बार अभियुक्त ने उसका फोन उठाया और जब उसने पूछा कि उसकी बहन कहां है और उससे बात करवाओ, तो अभियुक्त ने कथन किया कि गांव में नेटवर्क नहीं है, वह ठीक है और उसने कथन किया कि वह उसके द्वारा लिए गए लोन की 1600 रुपये की किस्त भेज देगा। उसने बताया कि उनके बीच सिर्फ इतनी ही बातचीत हुई थी।

पैरा 8 में उसने कथन किया कि वह अपनी बहन से फोन पर संपर्क नहीं कर पा रही थी और अभियुक्त उसका फोन भी नहीं उठा रहा था, जिससे परेशान होकर वह अपनी बहन को देखने के लिए मड़वापथरा स्थित अभियुक्त के घर गई, जहां उसने देखा कि अभियुक्त के विवाह की तैयारी चल रही थी और काफी मेहमान आए हुए थे। अभियुक्त और उसका जीजा उसे घर के पीछे ले गए और बताया कि उसकी बहन ठीक है। जब उसने उनसे उसकी बात कराने को कहा तो उन्होंने कहा कि उसका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। काफी आग्रह के बाद भी जब उन्होंने उसे सरोजनी से मिलने नहीं दिया तो उसे अभियुक्त पर शक हुआ और उसने उसे दो दिन के भीतर अपनी बहन को लेकर आने को कहा। यद्यपि अभियुक्त के बड़े भाई ने चार दिन का समय मांगा और उसके बाद उसने एक सप्ताह का समय दिया, जिस पर अभियुक्त ने अपनी संतुष्टि जताई।

19. अ.सा.–4 ने आगे कथन किया कि उन्होंने लगभग दो सप्ताह तक इंतजार किया परंतु अभियुक्त अपनी बहन के साथ नहीं आया, अतः वह अपने पिता, जीजा और अन्य व्यक्तियों के साथ अभियुक्त के घर गई, जहां उसने बताया कि दिनांक 2.4.2017 को उसने उसे बस में बैठाया था और उसे नहीं पता कि वह कहां गई है। तत्पश्चात, वे थाना– मगरलोड गए और एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने कथन किया कि लगभग तीन माह बाद उन्हें पुलिस ने सूचित किया कि उन्हें सरोजनी के बारे में कुछ सुराग मिला है। पुलिस उसे घटनास्थल पर ले गई जहां अस्थि कंकाल और खोपड़ी पड़ी थी। बालक की अस्थियाँ कुछ दूरी पर पड़ी थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अ.सा.–5 सुदर्शन ने यह भी कथन किया कि सरोजनी उसकी पुत्री थी और अप्रैल, 2017 में उसकी एक अन्य पुत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त सरोजनी और प्रियांशु के साथ अपने गांव मडवापथरा गया है और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका। अन्य साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

21. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का दण्ड केवल अंतिम बार देखे जाने और मेमोरेंडम के साक्ष्य पर आधारित है, जो दुर्बल प्रकार के साक्ष्य हैं और अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किए गए हैं। अतः अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

22. निःसदेह, इस प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराध को साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। दाण्डिक न्यायशास्त्र का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि हत्या के आरोप में दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, परंतु कि ऐसे साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद माने जाएं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाले प्रकरणों

में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अपराध के निष्कर्ष तक ले जाने वाले तथ्य पूर्णतः स्थापित हो और समस्त स्थापित तथ्य अभियुक्त व्यक्ति के अपराध को स्पष्ट रूप से इंगित करते हो। अपराध करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला निर्णायक होनी चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अतिरिक्त कोई अन्य परिकल्पना अपवर्जित हो। दूसरे शब्दों में, अभियोगात्मक परिस्थितियों की श्रृंखला से, अभियुक्त व्यक्ति की निर्दोषता के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह नहीं किया जा सकता है, यह दर्शाता है कि यह अभियुक्त था और कोई और नहीं जिसने अपराध कारित किया था।

23. विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना की तथा पाया कि अ.सा.–4 रजनी महानंद अंतिम बार देखी गई घटना की साक्षी है तथा वह अपने कथन पर अडिग रही। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि मृतक व्यक्तियों की मृत्यु हत्यात्मक थी; अभियुक्त एवं सरोजनी के मध्य प्रेम सम्बन्ध था तथा इस सम्बन्ध से प्रियांशु का जन्म हुआ; अभियुक्त एवं सरोजनी के मध्य विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा अपने समाज की एक लड़की से सगाई की जा रही है; मृतक व्यक्तियों को अंतिम बार अ.सा.–4 द्वारा अभियुक्त के साथ जीवित देखा गया था; अभियुक्त द्वारा अभियोगात्मक परिस्थितियों के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न देना; अभियुक्त की निशानदेही पर जली हुई अस्थियाँ एवं अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त करना; न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट द्वारा अभियुक्त को मृतक प्रियांशु का जैविक पिता होना तथा घटना की तिथि को अभियुक्त का अपने कर्तव्य से अनुपस्थित होना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इस प्रकरण में अभियुक्त का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिलेख क्रमांक प्र.पी./20 से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने स्वयं दिनांक 30.5.2017 को थाना–मगरलोड में अपनी पत्नी सरोजनी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि दिनांक 1.4.2017 को शाम 7 बजे के करीब वह उसे बस में बैठाया था, परंतु वह दिनांक 30.5.2017 तक ग्राम–अहिवारा, जिला–दुर्ग नहीं पहुंची तथा खोजबीन के बावजूद भी उसका पता नहीं चल सका। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त स्वयं स्वीकार करता है कि दिनांक 1.4.2017 को वह सरोजनी के साथ था तथा अ.सा.–4 रजनी के अनुसार वह दिनांक 1.4.2017 को सरोजनी तथा प्रियांशु को उसके घर से ले गया था तथा तत्पश्चात उसका अपनी बहन तथा प्रियांशु से कोई संपर्क नहीं हुआ। यदि अभियुक्त ने उन्हें दिनांक 1.4.2017 को बस में बैठाया था, तो उसने 2–3 दिनों के भीतर उन्हें खोजने और रिपोर्ट दर्ज करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया और लगभग दो माह तक इंतजार किया और दिनांक 30.5.2017 को केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। अभियुक्त/अपीलार्थी का यह असामान्य आचरण अत्यंत संदिग्ध है और उस पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

25. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियुक्त ने डीएनए परीक्षण के लिए अपने रक्त का नमूना लेने, उसके संरक्षण और जब्ती के बारे में तथ्यों को छोड़कर सभी तथ्यों और साक्ष्यों से या तो इनकार किया है या अनभिज्ञता व्यक्त की है।

26. **सिद्धार्थ वशिष्ठ विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली),(2010) 6 एससीसी 1** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "274. इस न्यायालय ने समय–समय पर अभिनिर्धारित किया है कि जहां कोई अभियुक्त साबित तथ्यों के संबंध में मिथ्या उत्तर गढ़ता है, तो न्यायालय को उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए और ऐसा निष्कर्ष अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए एक अतिरिक्त परिस्थिति बन जाएगा। इस संबंध में अभियोजन पेरेसडी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (1957) सीआरएल.एल.जे. 328, मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध रतन लाल, एआईआर 1994 एससी 458 और एंथनी डिसूजा विरुद्ध कर्नाटक राज्य (2003) 1 एससीसी 259 में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लेना चाहता है, जहां इस न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी द्वारा दिए गए मिथ्या उत्तरों के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी–मनु शर्मा ने, अन्य बातों के साथ–साथ, संहिता की धारा 313 के अधीन उनसे पूछे गए प्रश्न क्रमांक 50, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 67, 72, 75 तथा 210 के उत्तर में मिथ्या अभिवाक किया हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. **एस गोविंदराजू विरुद्ध कर्नाटक राज्य, (2013) 15 एससीसी 315** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "29. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षण के दौरान अभियुक्त के लिए यह अनिवार्य है कि वह उससे जुड़ी अभियोगात्मक परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे, और न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के प्रकरण में भी इस प्रकरण के स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए ताकि यह अवधारित किया जा सके कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हुई है या नहीं। जब अभियुक्त का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया जाता है जो उसे अपराध के संबंध में दोषी ठहराती हैं, और वह युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, या उसके संबंध में मिथ्या उत्तर देता है, तो उक्त कृत्य को

परिस्थितियों की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए एक लापता कड़ी प्रदान करने के रूप में गिना जा सकता है। (देखें: मुनीश मबार विरुद्ध हरियाणा राज्य, एआईआर 2013 एससी 912)।

31. अभियोजन ने सफलतापूर्वक अपना प्रकरण साबित कर दिया और इसलिए साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 के प्रावधान लागू होते हैं। अपीलार्थी/अभियुक्त ने इसमें निहित उक्त परिकल्पना का खंडन करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। इसके अतिरिक्त, मृतका शांति की मृत्यु अपीलार्थी के घर में हुई। उसने यह नहीं बताया कि घटना के समय वह कहाँ था। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान भी लागू होगा क्योंकि अपीलार्थी/अभियुक्त को ऐसे तथ्यों के बारे में विशेष जानकारी थी, यद्यपि वह कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहा, अतः न्यायालय उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. वर्तमान प्रकरण में भी, अभियुक्त ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में सरोजनी के साथ अपने रिश्ते और इस रिश्ते से प्रियांशु के जन्म से इनकार किया। उसने इस बात से भी इनकार किया कि दिनांक 2.4.2017 को उसने मृतकों को बस में बैठाया था। इस कथन से यह सुस्पष्ट है कि उसने अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों के विषय में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बजाय न केवल अभियोगात्मक परिस्थितियों बल्कि डीएनए परीक्षण के लिए उसके रक्त के नमूने लेने, उसके संरक्षण और जब्ती के बारे में तथ्यों को छोड़कर साबित तथ्यों के विषय में भी पूर्णतः अनभिज्ञता व्यक्त की। उपरोक्त स्थापित विधि सिद्धांतों के आलोक में, अभियुक्त का यह आचरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य करता है और उसके अपराध की ओर इंगित करता है।

29. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह साबित होता है कि दिनांक 1.4.2017 को अभियुक्त मृतक व्यक्तियों के साथ था तथा उसी दिन सायं लगभग 7 बजे अ.सा.–4 रजनी महानंद ने उससे बात की थी, तथा उसके पश्चात उन्हें किसी ने जीवित नहीं देखा। इन परिस्थितियों में अभियुक्त के लिए यह स्पष्ट करना अनिवार्य था कि वह उनसे साथ से कब अलग हुआ तथा अ.सा.–4 के घर से जाने के पश्चात वे कहां गए, क्योंकि ये सभी तथ्य अभियुक्त के विशेष ज्ञान में थे, परन्तु वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन अपने ऊपर अधिरोपित दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा। अ.सा.–4 ने अपने कथन के पैरा 7 एवं 8 में व्यक्त किया है कि दिनांक 2.4.2017 से वह अपनी बहन सरोजनी को बार–बार फोन कर रही थी, परन्तु वह उत्तर नहीं दे रही थी तथा

जब उसने अभियुक्त को फोन किया, तो उसने भी उसका फोन नहीं उठाया। यद्यपि, एक बार उसने उसका फोन उठाया तथा उत्तर दिया कि उसकी बहन ठीक है। उसने बताया कि जब वे अभियुक्त के घर पहुंचे, तब भी अभियुक्त ने बताया कि सरोजनी ठीक है। अ.सा.–4 के इस कथन का प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया गया। *केवल यह सुझाव दिया गया कि सरोजनी ने एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उस व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी,* परंतु अभियुक्त द्वारा कोई अन्य बचाव नहीं किया गया। अभियुक्त यह भी स्पष्ट करने में असफल रहा कि उसने लगभग दो माह बाद दिनांक 30.5.2017 को मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई। डीएनए रिपोर्ट (प्र.पी./46) के अनुसार, यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है कि घटनास्थल से बरामद एक नर बालक की अस्थियाँ अपीलार्थी के जैविक पुत्र की थीं।

30. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, विशेषतः घटना के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी के आचरण एवं तत्पश्चात, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जैसा कि उपरोक्त विमर्श किया गया है, इस न्यायालय का अभिमत है कि अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों का अवलंब लिया गया है, वे तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं, तथा उनकी कोई सहायता नहीं करते। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है एवं एतद्द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. फलस्वरूप, अपील असफल होती है एवं तदनुसार खारिज की जाती है। अपीलार्थी के जेल में निरुद्ध होने की सूचना है, अतः उसकी गिरफ्तारी, अभ्यर्पण आदि के संबंध में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

**सही/–** **सही/–**

**(रजनी दुबे)** **(सचिन सिंह राजपूत)**

**न्यायाधीश** **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur